

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक  
समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

विषय : दिनांक 01.10.2020 को "राजीव गांधी करियर गाइडेन्स योजना" अन्तर्गत संचालित राजीव गांधी करियर पोर्टल की समझ एवं उपयोगिता हेतु आयोज्य एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 वीं के विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा राजीव गांधी करियर गाइडेन्स योजना अन्तर्गत राजीव गांधी करियर पोर्टल संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक, स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाना तय किया गया है तथा प्रत्येक बच्चों को कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखने एवं अन्य कई व्यवसायों से परिचित होने हेतु कहा गया है।

कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के करियर मार्गदर्शन एवं राजीव गांधी करियर पोर्टल पर समझ विकसित करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/ प्रधानाध्यापकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 01.10. 2020 को दोपहर 3 से 5 बजे प्रथम चरण में निम्नांकित शिक्षकों को राजीव गांधी करियर पोर्टल के YOUTUBE चैनल Raj Career Portal के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा -

1. समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक
2. समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 10 एवं 12 के Class Teacher
3. समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शाला दर्पण/करियर/आईसीटी प्रभारी
4. ब्लॉक स्तरीय अध्यापिका मंच कार्यकारी समिति के सदस्य

उपरोक्त सभी को नियत समय में उक्त प्रशिक्षण में भाग लिये जाने हेतु निर्देशित कर उपस्थिति शत प्रतिशत सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण निम्नानुसार लिंक द्वारा प्रदान किया जायेगा -

Link for teachers to join: [https://youtu.be/910a2ms\\_BUA](https://youtu.be/910a2ms_BUA)

नोट : कृपया कोविड-19 महामारी हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जायें।

www.rajteachers.com

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प./जय/शालादर्पण/2020/1033

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय बीकानेर।
4. निदेशक RSCERT उदयपुर।
5. शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, जयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।
7. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा - समस्त जिला।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा - समस्त ब्लॉक।
9. समस्त पीईईओ

(डॉ. रश्मि शर्मा)

अति. राज्य परियोजना निदेशक

दिनांक :- 25-9-20

अति. राज्य परियोजना निदेशक